<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>सराहनीय कार्य जनपद एटा।</u>

<u>एटा अलीगंज ~ अवैध शस्त्र बरामदगी के विरुद्ध</u> **<u>चलाये गए अभियान के तहत थाना अलीगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार।</u>**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के परिदृश्य अवैध असलहा कारतूस की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अलीगंज श्री अजय कुमार के नेतृत्व में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटनाक्रमानुसार दिनाँक 14.01.2021 को थाना अलीगंज पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बलवीर को पचनदा को जाने वाला तिराहा अगोनापुर से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना अलीगंज पर मु0अ0स- 21/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। **गिरफ्तार अभियुक्त का नामपता**

1- बलवीर पुत्र अहिवरन निवासी अगोनापुर थाना अलीगंज एटा।

बरामदगी

1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 कारतूस जिंदा।

गिरफ्तारी करने वाला पुलिस बल :-

1. उपनिरीक्षक जोगेंद्र सिंह
2. आरक्षी धर्मेंद्र
3. आरक्षी तेजवीर